125

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : श्री एम. के. सिंह,

सदस्य

प्रकरण कमांक–निगरानी 4382–दो/2012, बिरूद्ध आदेश दिनांक 18/12/2012 द्वारा पारित कलेक्टर जिला टीकमगढ़, प्रकरण कमांक 123/बी–121/2010–11

1– रमेश तनय श्रीरामरतन मिश्रा, 2– संजू तनय श्रीरामरतन मिश्रा,

3– राजू तनय श्रीरामरतन मिश्रा,

सभी निबासी– ग्राम खैरा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़,

.....आवेदकगण

बनाम

1– सुरेश तनय सुक्का अहिरवार, 2– प्यारेलाल तनय सुक्का अहिरवार,

3– दलपत तनय सुक्का अहिरवार, 4– सल्लू पत्नि सुक्का अहिरवार,

सभी निबासी– ग्राम खैरा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़,

.....अनावेदकगण

श्री आर0 डी शर्मा, अधिवक्ता, आवेदकगण

श्री पी0 के0 तिवारी अधिवक्ता, अनावेदकगण

:: आदेश ::

(पारित दिनांक– 9 /02/2017)

कृ0पृ0उ0

1– आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केबल संहिता कहा जाबेगा) की धारा 50 के तहत कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 123/बी–121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 18/12/2012 से ब्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये गये। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बतायां गया, कि प्रकरण की बिबादित भूमि सर्वे कमांक 08/02 रकवा 3.678 हैक्टर में से 1.687 हैक्टर भूमि दिनांक 12/10/1983 को आवेदकगण की मॉ श्रीमति सोनादेवी द्वारा रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र के माध्यम से अनावेदकगण के पिता एवं पति सुक्का से कय कर कब्जा प्राप्त किया था, तथा नामांतरण पंजी कमांक 63 पर दिनांक 08/02/1984 को बिक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण भी हो गया था। जिसके उपरांत उपरोक्त भूमि के बिक्रय की वैद्यता के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण भी चले, जिनमें उपरोक्त बिक्रय पत्र दिनांक 12/10/1983 एवं नामांतरण दिनांक 08/02/1984 को बिधिवत माना गया एवं अनावेदकगण द्वारा की गई समस्त कार्यवाहियां अमान्य की गईं। जिसके उपरांत अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष आवेदकगण के बिरूद्ध उपरोक्त भूमि के संबंध में पुनः एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 165 (7–ख) के तहत दिनांक 01/09/2009 को प्रस्तुत किया, जिसे कलेक्टर ने उपरोक्त प्रकरण कमांक पर पंजीबद्ध करके आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण किये बगैर ही प्रकरण में शासन का हित मानते हुए, उचित आदेश करने बाव्द कमिश्नर सागर के यहॉ प्रेषित कर दियां। जबकि उन्हें पूर्व में हुए आदेशों के आधार पर प्रकरण आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को मान्य करके निरस्त करना चाहिये था। अनावेदकगण की ओर से उपस्थित बिद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुसार एवं सही है, उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यह निगरानी आवेदकगण द्वारा दुर्भावनापूर्वक प्रस्तुत की गई है, जो ग्राह्य करनें योग्य नहीं हैं।

3– उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया, जिसमें विवाद ग्राम भगवंतपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 8/2 रकवा 1.687 हैक्टर भूमि के बिक्रयपत्र दिनांक 12/10/1983 एवं उसके आधार पर हुए नामांतरण दिनांक 08/02/1984 की वैद्यता से संबंधित है। जिसके संबंध में पूर्व में एक प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रकरण कमांक 327/स्व0निग0/1985–86 शासन बिरूद्ध सोनादेवी मे पारित आदेश दिनांक

07/02/1986 द्वारा भूमि बिक्रय से प्रतिबंधित होने के आधार पर नामांतरण निरस्त किया गया था। जिससे दुखित होकर सोनादेवी द्वारा एक निगरानी कमांक 60/अ–19/1986–87 अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी। जिसमें उनके द्वारा दिनांक 14/10/1988 को आदेश पारित करके, प्रकरण केता एवं बिकेता को सुनवाई करके पुनः आदेश करने बावद प्रत्यावर्तित कर दिया था। जिसके आधार पर अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़, द्वारा निगरानी प्र0क0 36/1994–95 दर्ज करके पारित आदेश दिनांक 31/05/1995 द्वारा स्वमेव निगरानी मे दिया गया कारण बताओ नोटिस समाप्त करते हुए, नामांतरण आदेश दिनांक 08/02/1984 यथावत रखा था। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/05/1985 से परिबेदित होकर सूका अहिरवार द्वारा एक निगरानी कमांक 648/अ–19/1996–97 अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जो दिनांक 31/10/2001 को अदम पैरवी में खारिज हो गई थी। जिसे पुनः नंबर पर कायम करने संबधी कोई कार्यवाही उस निगरानी में आवेदक सूका या उसके वारिसो द्वारा न करनें से वह आदेश दिनांक 31/10/2001 अंतिम हो चुका था। इसी भूमि से संबधित एक प्रकरण कमांक 49/अपील/1999–2000 अनुविभागीय अधिकारी जतारा के न्यायालय में आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण के बिरूद्ध नामांतरण पंजी कमांक 11, आदेश दिनांक 11/03/1999 से दुखित होकर प्रस्तुत की गई थी, जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 06/06/2000 को स्वीकार करके नामांतरण आदेश दिनांक 08/02/1984 यथावत रखा था। जिससे परिबेदित होकर अनावेदकगण द्वारा एक निगरानी कमांक 62/निग0/2002–03 अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जिसे भी दिनांक 28/05/2003 को अदम पैरवी में निरस्त किया जा चुका है।

4– उपरोक्त भूमि के संबंध में पूर्व में उपरोक्त कंडिका 03 मे दर्शित न्यायालयों में बिचारण उपरांत आदेश पारित होकर अंतिम हो चुके हैं। उसी भूमि एवं उसी बिषय–वस्तु तथा विवाद बिन्दु को लेकर अनावेदकगण द्वारा पुनः आवेदन पत्र कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा उपरोक्त प्रकरण कमांक 123/बी–121/2010–11 पर पंजीबद्ध करके पुनः कार्यवाही प्रारंभ करके, शासन का हित मानते हुए, पूर्व में पारित आदेशों की वैद्यता को प्रश्नांकित करते हुए कमिश्नर सागर के न्यायालय में उचित आदेशार्थ अग्रेषित किया जाना रैस ज्यूडिकेटा (RESJUDICATA) की श्रेणी में आता है। जबकि उपरोक्त प्रकरण/आवेदनपत्र की प्रचलन शीलता के संबंध में आवेदकगण द्वारा आपत्ति आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत

आवेदन पत्र प्रारंभिक रूप से ही सुनवाई योग्य नहीं था, ना ही उस पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर टीकमगढ़ को था। उनके द्वारा रेस ज्युडिकेटा के सिद्वांत को नजर अंदाज करके उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 18/12/2012 को प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा जो अपने आदेश दिनांक 31/05/1995 में यह माना है कि प्रकरण में धारा 165 (7ख) के प्रवधान लागू नहीं होते हैं वह भी सही माना है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 18/12/2012 निरस्त करते हुये ,प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, राजस्व मंडल की यह निगरानी परिणम दर्ज करके दा0 द0 हो।

(एम.के.सिंह)

सदस्य

राजस्व मंडल मध्य प्रदेश, ग्वालियर